जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 47 संख्याः 116 प्रभात कोटा, मंगलवार 8 फरवरी, 2022 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

विदेशी पक्षी, ग्रेट क्रैस्टेड ग्रीब हुरडा तालाब में पहली बार नज़र आया है। विभिन्न-प्रकार के जलीय आवासों, जैसे, झील, कृत्रिम जल निकाय, धीमी गति से बहने वाली नदियों, दलदल, खाड़ी, व लैगून आदि के पास पाए जाने वाले ये पक्षी प्रजनन के लिए छिछले पानी वाले जलाशयों को चुनते हैं पानी के किनारे ऐसी जगह पर घोंसला बनाते हैं, जहां वनस्पति की उपलब्धता हो। सर्दियों में ये पक्षी बर्फीले प्रदेशों से कम ठंड वाले प्रदेशों की तरफ जाते हैं। भारत में शीत ऋतु के दौरान ये प्रवासी पक्षी ठंडे प्रदेशों में प्रवास करते हैं। ग्रेट क्रैस्टेड ग्रीब पश्चिम यूरोप, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिणी व पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्सों एवं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के निवासी हैं। पर्यावरणविद् राहुल राठी ने हुरड़ा तालाब पर ली यह तस्वीर साझा की है। पेशे से एक अर्बन प्लानर राठी, वर्तमान में उदयपुर कार्यरत हैं। यह पक्षी पहले भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन हुरडा तालाब में सम्भवतः यह पक्षी पहली बार दिखा है।

डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम को पंजाब चुनाव से ठीक पहले हरियाणा की भाजपा सरकार ने रिलीज़ किया

राम रहीम को 20 वर्ष की कैद की सज़ा मिली है, अपनी आश्रम की दो महिलाओं के रेप के कारण तथा एक पत्रकार की हत्या के कारण उम्र कैद की भी सज़ा मिली हुई है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। पंजाब के चुनावों से ठीक पहले, पड़ोसी राज्य हरियाणा की भाजपा सरकार ने, स्वयं को बाबा कहने वाले गुरमीत राम रहीम सिंह (52), जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख हैं, को सोमवार को जेल से 21 दिन की छुट्टी दे दी है। राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की कैद तथा एक पत्रकार की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद हुई थी। उन्हें गुरुग्राम में रह रहे अपने पारिवारिक सदस्यों से मिलने के लिये छोड़ा गया बताते हैं। पंजाब और हरियाणा में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **राम रहीम के पंजाब में 84 सत्संग घर हैं तथा पंजाब के मालवा क्षेत्र में उनके अनुयायी, 35-40 सीटों के नतीजों को प्रभावित करते हैं।**
- **अगस्त 2017 में, जब उन्हें रेप व हत्या के जुर्म के कारण न्यायालय ने सज़ा सुनाई थी, उस समय पंचकुला व सिरसा में भारी हिंसा फैली थी तथा 41 व्यक्तियों की इस दंगे में मौत हुई थी तथा 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।**

रिवर लिंकिंग प्रोजैक्ट के सख्त विरोध में हैं पर्यावरण शास्त्री

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई राज्यों में नदियों को जोड़ने के प्रोजैक्टों के लिये प्रावधानों की घोषणा की है, जिससे पर्यावरणविद काफी नाराज हैं।

बजट तथा मोदी सरकार अपने "ग्रीन" क्रडैन्शियल्स की कसमें खाते हैं और बहुत जोर-शोर से कहते हैं कि वो ऐसे सबसे बड़े पर्यावरण मित्र हैं, जो पर्यावरण संरक्षण पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप चलते हैं। लेकिन एक्टविस्टों का कहना है कि, नदियों को जोड़ना पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत ही ज्यादा अमानवीय कार्य है तथा ऐसा करने से नदियाँ तथा संबंधित जीव एवं वनस्पति जगत मर जायेंगे। उनका कहना है कि प्रत्येक नदी की अपनी पृथक अस्मिता एवं स्वीकार्यता होती है तथा हर नदी का एक विशिष्ट एवं अगल ईको सिस्टम होता है।

नदियों को जोड़ने से उनकी निजी विशिष्टता में कमी आ सकती है तथा इनका पृथक ईको सिस्टम नष्ट हो सकता है। इन नुकसानों की भरपाई होना संभव ही नहीं है तथा ऐसा करने से बहुत सी प्रजातियाँ खत्म हो जायेंगी। नदियों से जोड़ने से, अनजाने में ही, आक्रामक प्रजातियों का नदियों में प्रवेश हो जायेगा, जो नदियों की प्राकृतिक प्रजातियों को मार कर खत्म कर सकती हैं। सैन्टर फॉर साइन्स एण्ड एन्वारनमैंट (सी.एस.ई.), जो अत्यधिक प्रख्यात पर्यावरण संरक्षण ग्रुप है, ने सरकार की कड़ी आलोचना की है तथा कहा है कि नदियों को जोड़ने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमे चल रहे हैं, सरकार उनकी अनदेखी कर रही है।

सी.एस.ई. ने कहा है कि, जब सर्वोच्च न्यायालय ने केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ने की कोशिश को दी गई चुनौती पर अभी तक अपना फैसला नहीं किया है, उस स्थिति में इस प्रोजैक्ट को पैसा आवंटित कर देना, सबसे बड़ी अदालत के फैसले को पहले ही अपने पक्ष में मान लेने जैसा है। नैशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जिस दबंगता के साथ इस प्रोजैक्ट को मंजूरी दे दी है, उस तौर-तरीके की भी सी.एस.ई. ने कड़ी आलोचना की है।

केन और बेतवा को जोड़ने के इस प्रोजैक्ट की लागत बहुत ज्यादा होगी तथा इसके कैचमैंट एरिया में रहने वाले लोग भी इस प्रोजैक्ट के खिलाफ अदालत चले गये हैं। इस प्रोजैक्ट पर 45000 करोड़ रू. से ज्यादा राशि खर्च होगी।

विशेषज्ञों के अनुसार, केन और बेतवा नदियों के जोड़े जाने से मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व का कोर एरिया जल-आप्लवित हो जायेगा। यह प्रोजैक्ट टाइगर रिज़र्व का पूरा केन्द्रीय क्षेत्र जल-आप्लावित कर देगा तथा टाइगर आसपास के क्षेत्रों में जाने को मजबूर हो जायेंगे।

ऐसी किसी कार्यवाही से पन्ना टाइगर संरक्षण की दिशा में की गई पहल पंगु हो जायेगी तथा कुछ लोगों को तो यह डर भी है कि, आगे चलकर, इस क्षेत्र के बहुत से मांसाहारी जानवर कहीं और भेजने पड़ेंगे। इसके मूल क्षेत्रों के अवश्यंभावी जल प्लावन के कारण इस प्रोजैक्ट क्षेत्र के टाइगर भी और कहीं भेजने पड़ेंगे। वित्त मंत्री ने नदियों को जोड़ने के पांच अन्य प्रोजैक्टों का उल्लेख किया था, जिनकी ड्राफ्ट प्रोजैक्ट रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ये प्रोजैक्ट हैं-

दमनगंगा-पिंजल
पार-ताप्ती-नर्मदा
गोदावरी-कृष्णा
कृष्णा-पेन्नार

लेकिन इन नदियों के तटवर्ती राज्य अभी तक नदियों को जोड़ने वाले इन प्रोजैक्टों को लेकर सहमत नहीं हुए हैं। बताया जाता है कि अभी तक एक भी राज्य अन्य राज्यों को अपनी नदियों का पानी देने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये, नदियों को जोड़ने वाले ये प्रोजैक्ट अभी विवादाग्रस्त हैं।

दमन गंगा तथा नर्मदा के इस प्रोजैक्टों पर मूल चर्चा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमन्त्रित्व काल में हुई थी। लेकिन, इन पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी थी क्योंकि इनके क्रियान्वयन के प्रत्येक मुद्दे को लेकर अन्तर्निहित असहमतियाँ थीं।

अब केन्द्र सरकार इन प्रोजैक्टों को एकाएक पारित नहीं कर सकती।

- **इनके अनुसार हर नदी का इकोसिस्टम होता है, पर दो नदियों को जोड़ने से दोनों नदियों का इकोसिस्टम खतरे में पड़ जायेगा।**
- **इसके अलावा आज की प्रतिस्पर्धी राजनीति में कोई राज्य अपने "अतिरिक्त पानी" को दूसरे राज्यों को देने के लिये कतई राजी नहीं होगा।**
- **2004 में, वाजपेयी जी के शासन काल में दमनगंगा व नर्मदा को जोड़ने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया था, पर प्रोजैक्ट अभी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा है।**

वैक्सीन लगाने के लिये आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। कोविड वैक्सिनेशन के लिये बने पोर्टल, "कोविन" पर आधार नम्बर के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन केन्द्र ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि, आधार अनिवार्य नहीं है।

केन्द्र ने कहा कि, कोई भी व्यक्ति नौ पहचान-दस्तावेजों में से किसी एक की सहायता से रजिस्ट्रेशन करा सकता है तथा उसे वैक्सिनेशन के समय प्रस्तुत कर सकता है। इन पहचान-दस्तावेजों में शामिल हैं- पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, नौ पहचान पत्र, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दिखाकर भी वैक्सीन लगवायी जा सकती है।**

अगर आप कार/स्कूटर खरीदने वाले हैं तो, एक अप्रेल तक रूकें!

इस वित्तीय वर्ष में इलैक्ट्रिक वाहन 30 प्रतिशत सस्ते होने वाले हैं!

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। अगर आपको नई कार या स्कूटर खरीदना है तो 1 अप्रैल से शुरु होने वाले नये वित्तीय वर्ष की प्रतीक्षा कीजिये, क्योंकि इस समय इलैक्ट्रिक वाहनों की कीमतें 30 प्रतिशत कम हो जाएंगी तथा चार्जिंग पॉइन्ट्स पर बहुत लंबा समय लगने का झंझट खत्म हो जायेगा। क्योंकि चार्जिंग पॉइन्ट्स की संख्या इतनी नहीं है कि ये हर जगह पेट्रोल पम्पों की संख्या को मैच कर सकें।

यह सब, 1 फरवरी को "बैटरी स्वॉपिंग पॉलिसी" पर केन्द्रीय बजट के उस एक पैराग्राफ की वजह से सम्भव होगा, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था।

अब आपको चार्जिंग पॉइन्ट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे। यह इसलिये संभव है, क्योंकि वित्त मंत्री सीतारमण विद्युत-वाहन खरीदने वालों का विशेष ध्यान रख रही हैं: "बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिये, शहरी इलाकों में स्थान के दबाव को ध्यान में रखते हुये, बैटरी स्वॉपिंग पॉलिसी लाई जायेगी तथा इन्टर-ऑपरेबिलिटी स्टैन्डर्ड प्रतिपादित किये जायेंगे।

प्राइवेट सेक्टर को "बैटरी या एनर्जी एज़ अ सर्विस" के लिये प्रामाणिक एंव नवीन बिज़नैस मॉडल विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे ई वी इको-सिस्टम की दक्षता बढ़ेगी।"

विद्युत-कारों की कीमत 30 प्रतिशत कम हो जायेगी, क्योंकि आपको उन बैटरियों की कीमत नहीं देनी होगी जिनकी कीमत, कार की कुल कीमत की 30-40 प्रतिशत होती है। सरकार विद्युत -वाहन खरीदने के लिये खरीदारों को और भी रियायतें देने की योजना बना रही है, जिससे खरीदारों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **निर्मला सीतारमण ने "बैटरी आदान-प्रदान" करने की सुविधा दी है नये बजट में।**
- **इलैक्ट्रिक कार की कीमत 30 प्रतिशत इसलिये घटेगी, क्योंकि अब बैट्री, जो इलैक्ट्रिक कार का सबसे महंगा उपकरण होता है, कार के साथ नहीं खरीदना पड़ेगा।**
- **बैट्री सप्लाई करने वाला कोई एजेन्ट, कुछ "सिक्युरिटी डिपॉज़िट" लेकर बैट्री की सेवा प्रदान कर देगा।**

जे.एन.यू. की पहली महिला वाइस चांसलर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। सरकार ने पुणे की सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित को सोमवार को नई दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी (जे.एन.यू.) की प्रथम महिला कुलपति नियुक्त किया। पूर्व में आई.आई.टी. दिल्ली से सम्बद्ध वाइस प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार को युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन (यू.जी.सी.) का नया चेयरमैन बनाया गया है। 15 जुलाई 1962 को रूस (यू.एस.एस.आर.) के सैंट पीटर्सबर्ग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **शांतिश्री धुलीपुड़ी, जो अभी तक पुणे की सावित्री बाई फूले युनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थीं, अब जे.एन.यू. में अपना चार्ज संभालेंगी।**

यूरोप में भारी "डिप्लोमैटिक" गतिविधि; यूक्रेन के संकट को युद्ध में परिवर्तित होने से रोकने के लिये

यूरोप के दिमाग व मन में स्मृतियां खत्म नहीं हुई हैं, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध की, जब छोटी-मोटी घटनाएं कारण बनी थीं, अन्तर्राष्ट्रीय समर की

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। किसी ऐसी संभावित चिंगारी को बुझाने के प्रयास जोर-शोर से किए जा रहे हैं, जो यूरोप के पश्चिमी हिस्से में किसी आक्रामक युद्ध की शुरुआत कर सकती है।

चूंकि यूरोप के स्मृति पटल पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की यादें स्थायी रूप से ताजा हैं, इसलिए यहां किसी छोटे युद्ध से भी डर लगता है कि, वह कहीं कोई बड़ा रूप धारण ना कर ले।

इस तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के तरीकों पर विचार-विमर्श के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से सोमवार को मॉस्को में मुलाकात कर रहे हैं।

दुनिया की एक दूसरी राजधानी, वॉशिंगटन में जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्स अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से मिलेंगे। रूस की चुनौती से निबटने के लिए पश्चिमी शक्तियों की एकता के प्रदर्शन को लेकर यह मुलाकात काफी महत्वूपर्ण है, क्योंकि यह माना जा रहा था कि, यूक्रेन के मुद्दे पर कोई एकीकृत रूख अख्तियार करने से जर्मनी टालमटोल कर रहा है।

इन त्वरित मीटिंग्स के बाद जर्मनी के चांसलर शोल्स का 15 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है।

सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि, रूस-जर्मनी संबंधों के महत्व को देखते हुए पुतिन, जर्मनी के इस नए चांसलर से मुलाकात करने से पहले तक कोई सैन्य कार्यवाही नहीं करेंगे। नॉर्डस्ट्रीम-2 नामक नई पाइप लाइन यूरोप में दूर-दूर तक बिछायी जा रही है ताकि रूस के तेल और नैचुरल गैस को जर्मनी तक ले जाया जा सके।

नॉर्डस्ट्रीम-2 को यदि जर्मनी के लिए एक एनर्जी लाइफ लाइन माना जाए, तो रूस के लिए यह एक आर्थिक लाइफ लाइन है। यूक्रेन से गुजरने वाली यह पाइप लाइन तेल व गैस तथा अन्य जरूरी वस्तुएं पश्चिमी यूरोप को बेचने में रूस की मदद करेगी। यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा है, इसलिए व्लादिमिर पुतिन एक तरह से मुश्किल में पड़े हुए हैं और उनके लिए कुछ ही विकल्प शेष हैं। क्योंकि, यदि एक बार आक्रमण कर दिया गया तो, इसके श्रृंखलाबद्ध परिणामों को रोकने के लिए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **इन कूटनीतिक प्रयास में सबसे अहम् भूमिका फ्रांस व जर्मनी की है।**
- **फ्रांस इस वक्त यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है, वैसे भी फ्रांस का एतिहासिक रूप से रूस पर काफी गहरा असर है। रूस का एकीकरण करने वाले सम्राट पीटर द ग्रेट ने रूस को फ्रांस के सांचे में ढालने का पूरा प्रयास किया था। यहां तक कि, रशिअन रिवोल्यूशन से पहले, रूस की अधिकृत भाषा फ्रैंच थी। लेखक व विचारक, पेरिस जाते थे। बुद्धिजीवी गतिविधियों के लिये।**
- **जर्मनी को कैश व ऑयल पहुंचाने के लिये रूस ने बड़ी लम्बी व विशाल पाइप लाइन, नार्ड स्ट्रीम बिछायी है। नार्ड स्ट्रीम, जर्मनी के लिये एनर्जी लाइफ लाइन है, पर साथ ही रूस के लिये इकोनॉमिक लाइफ लाइन भी है। इस पाइप लाइन के अलावा, अपना मुख्य उत्पादन, गैस व आयल को बेचने का कोई साफ रास्ता नहीं है।**
- **जर्मनी के चांसलर शोल्स, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति से मिलेंगे। रूस भी शोल्स की 15 फरवरी की रूस की यात्रा से पहले, शायद कोई आक्रमक कदम नहीं उठायेंगे।**

हिन्दुस्तान ज़िंक पर जुर्माना

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 फरवरी। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड तथा अन्य पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है क्योंकि इन्होंने राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में भूजल के पर्यावरण संबंधी नियमों एवं मानकों को क्षति पहुँचाई है।

एन.जी.टी. द्वारा यह फैसला 2 फरवरी को दिया गया, जब ट्रिब्यूनल उन विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, जिनमें प्रोजैक्ट प्रस्तावों द्वारा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **नैशनल ग्रीन टिब्युनल ने इस कम्पनी पर 25 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि कम्पनी की औद्योगिक गतिविधि से ग्राउण्ड वाटर (भूमिगत पानी) को काफी नुकसान हुआ है।**